उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-148/43-2-2019-सू0अ0नि02015(1)/2015
लखनऊः दिनांक 13 अगस्त, 2019

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 संबंधी अधिसूचना संख्या-148/43-2-2019-सू0अ0नि0(1)2015, दिनांक 13 अगस्त, 2019 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
15. सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
18. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
19. गार्ड फाइल।
20. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 13 अगस्त, 2019 के असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-(ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें और संलग्न अधिसूचना की हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित 1000 प्रतियाॅ प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-148/43-2-2019-सू0अ0नि0-2015(1)/2015
लखनऊः दिनाँकः 13 अगस्त, 2019
अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।
2-यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">नियम 4 का संशोधन</td><td colspan="2">2- उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 4 में, उपनियम (2) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड
(ख) माँगी गयी सूचनाः</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) माँगी गयी सूचनाः</td></tr>
<tr><td>(एक) में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अन्तर्वलित नहीं होना चाहिए जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के किसी नियम या विनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है; या

(दो) में विद्यमान आंकड़ों का नये सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; या</td><td>(एक) में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अन्तर्वलित नहीं होना चाहिए जिनको अनुरक्षित किया जाना किसी विधि अथवा लोक प्राधिकरण के किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन अपेक्षित नहीं है; या

(दो) में विद्यमान आंकड़ों का नये सिरे से निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; या

(तीन) में काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	(तीन) में काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अन्तग्र्रस्त नहीं होना चाहिए; या (चार) में प्रश्न 'क्यों' जिसके माध्यम से किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की माॅग की गयी हो, का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए; या (पाँच) इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन अन्तर्ग्रस्त हो जाने के कारण सम्बन्धित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाये।	करना अन्तग्र्रस्त नहीं होना चाहिए; या (चार) में प्रश्न 'क्यों' जिसके माध्यम से किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की माॅग की गयी हो, का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए; जब तक कि ऐसे प्रश्न का उत्तर, सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा धारित अभिलेख का भाग न हो; या (पाँच) इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन अन्तर्ग्रस्त हो जाने के कारण सम्बन्धित लोक प्राधिकरण का दक्ष प्रचालन प्रभावित हो जायेय या (छः) ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी अन्य विधि, नियम, विनियम या कार्यपालिक आदेश के उपबन्धों के अधीन प्राप्त की जा सकती हैः
प्ररूप 6 का संशोधन	उक्त नियमावली में, परिशिष्ट में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्ररूप 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्ररूप रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ-1 <u>वर्तमान प्ररूप 6</u>	स्तम्भ-2 <u>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्ररूप 6</u>
	<u>सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत हेतु अतिरिक्त फीस का मांग-पत्र</u> पत्र संख्या..... दिनांक..... प्रेषक, ... (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या) सेवा में, ...	<u>सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत को द्योतित करने वाली अतिरिक्त फीस से सम्बंधित सूचना</u> पत्र संख्या..... दिनांक..... प्रेषक, ---------- ---------- (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता) महोदय, कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 के अपबन्धों के अनुसार आप से अनुरोध है कि आप सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत के रूप में रू0.....(रुपये.....के वल) की अतिरिक्त फीस नीचे दी गयी गणना के अनुसार जमा करा दें: .... उपर्युक्त फीस निम्न अधिकारी को संदेय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के रूप में जमा की जा सकती है: .... यदि आपको इस मांग के विरूद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर	सेवा में, ---------- ---------- (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता) महोदय, कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार आप से अनुरोध है कि आप सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत को द्योतित करने वाली अतिरिक्त फीस ------- रू0 (----------रुपये) नीचे दी गयी गणना के अनुसार जमा करा दें: .... उपर्युक्त फीस, -------- को संदेय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के प्ररूप में जमा की जा सकती है: यदि आपको इस मांग के विरूद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत है: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या ....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सकते हैं जिनका पता निम्नवत हैः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या .... भवदीय, ...	भवदीय, ...

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttat Pradesh Shasan
Prashasnik Sudhar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No-148/43-2-2019-Su.Aa.Ni.2015(1)/2015, dated:Lucknow 13 Augest, 2019.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Prashasnik Sudhar Anubhag-2

NOTIFICATION
Miscellaneous
No148/43-2-2019-Su.Aa.Ni.2015(1)/2015
Dated 13 August, 2019.

In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Act no. 22 of 2005) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Right to Information Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH RIGHT TO INFORMATION (FIRST AMENDMENT) Rules, 2019.

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="2">1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Right to Information (First Amendment) Rules, 2019
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 4</td><td colspan="2">2. In the Uttar Pradesh Right to Information Rules, 2015, hereinafter referred to as the said Rules, in rule 4 in sub-rule (2) for clause (b) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>Column-1
Existing Clause

(b)The information sought should not:</td><td>Column-2
Clause as here by substituted
(b) The information sought should not:</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(i) involve fresh collection of non-available data which is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority; or (ii) require carrying out new interpretation or analysis of existing data, or drawing of inferences, making of assumptions, or providing advice or opinion based on existing data; or (iii) involve providing answers to hypothetical questions; or (iv) involve answers to the question 'why', thus asking for reasons why a certain act was done or not done, or (v) be so vast that the collection thereof involves disproportionate diversion of resources affecting efficient operation of the public authority concerned.	(i) involve fresh collection of non-available data which is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority; or (ii) require carrying out new interpretation or analysis of existing data, or drawing of inferences, making of assumptions, or providing advice or opinion based on existing data; or (iii) involve providing answers to hypothetical questions; or (iv) involve answers to the question 'why', thus asking for reasons why a certain act was done or not done, unless the answer to such question is a part of record held by the concerned public authority; or (v) be so vast that the collection thereof involves disproportionate diversion of resources affecting efficient operation of the public authority concerned; or

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	-	(vi) be such which can be obtained under the provisions of any other law, rule, regulation or executive order.
Amendment of Form 6	3. In the said rules for form 6 set out in column 1 below the form as set out in column 2 shall be substituted, namely :-	
	Column-1 Existing Form	**Column-2** Form as here by substituted
	Intimation regarding additional fee representing cost of providing information Letter No:-..... Dated..... **From:** .... (Designation, address and phone no. of SPIO providing the information under RTI Act, 2005) **To:** .... (Name and address of applicant seeking the information under RTI Act, 2005) Sir, Please refer to your application dated..... registered at serial no..... addressed to the undersigned regarding supply of information under section 6(1) of the RTI Act, 2005. In accordance with the	**Intimation regarding additional fee representing cost of providing information** Letter No:-..... Dated..... **From:** .... (Designation, address and phone no. of SPIO providing the information under RTI Act, 2005) **To:** .... (Name and address of applicant seeking the information under RTI Act, 2005) Sir, Please refer to your application dated..... registered at serial no.. addressed to the undersigned regarding supply of information under section 6(1) of the RTI Act, 2005. In accordance with the

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	provisions of the U.P. Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006, you are requested to deposit additional fee of Rs..... (Rupees.....), representing the cost of providing the information as per calculations given below; .... The above fee may be deposited in the form of postal order/demand draft/banker's cheque payable to..... If you have any objection against this demand you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty days of the receipt of this letter to the First Appellate Authority whose address is given below: Designation, address and Phone no. of First Appellate Authority .... Yours faithfully, ...	provisions of the rule 5 of Uttar Pradesh Right to Information Rules, 2015, you are requested to deposit additional fee of Rs.....(Rupees.....), representing the cost of providing the information as per calculations given below; .... The above fee may be deposited in the form of postal order/demand draft/banker's cheque payable to..... If you have any objection against this demand you may file an appeal under Section 19(1) of the Act within thirty days of the receipt of this letter to the First Appellate Authority whose address is given below: Designation, address and Phone no. of First Appellate Authority .... Yours faithfully, ...

(Jitendra Kumar)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।